



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 नवम्बर, 2020

अग्रहायण 6, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 1619/9-1-2020-19सा0-13

लखनऊ, 27 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-319

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 56 एवं उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल घोषित करते हैं कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार स्तम्भ-3 में अंकित निकाय के सदस्य/पार्षद का पद उनके सम्मुख उल्लिखित कारण/तिथि से रिक्त हो गया है :-

क्र०सं०	जनपद	निकाय का नाम	वार्ड संख्या	अध्यक्ष/सदस्य का नाम	मृत्यु/त्यागपत्र का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	गाजियाबाद	न0पा0प0, मुरादनगर	06	शिवराज सिंह (सदस्य)	06.06.2020 (मृत्यु)
2	बदायूँ	न0पा0प0, उझानी,	21	छोटे कुरैशी (सदस्य)	04.08.2020 (मृत्यु)
3	जालौन	न0पं0, रामपुरा	05	श्रीमती गुड्डी देवी (सदस्य)	01.10.2020 (मृत्यु)

आज्ञा से,
दीपक कुमार
प्रमुख सचिव,

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 401 राजपत्र-2020-(909)-599+40=639 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी/ऑफसेट)।